संख्या– 1262/1–10–2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सिंचाई विभाग/गृह विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पशुपालन/खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः: दिनांकः 22 अगस्त, 2017

विषयः– मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गये निर्णयों एवं इस संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के कार्यवृत्त विषयक राजस्व अनुभाग–11 के पत्र संख्या–947(3)/1–11–2017, दिनांक 19.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने की अपेक्षा की गई हैः–

1.1 संबंधित विभाग लखनऊ स्थित निदेशालय/मुख्यालय स्तर पर 24 x 7 कंट्रोल रूम तत्काल कियाशील करें।

1.2 योग्य अधिकारियों को चिन्हित कर संवेदनशील जनपदों में अस्थाई रूप से तत्काल 30 सितम्बर तक के लिए तैनात कर दिया जाए।

1.3 बाढ़ द्वारा जहां तटबंधों का कटान हो रहा है ऐसे संवेदनशील तटबंधों पर सिंचाई विभाग के अभियंताओं की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की जाए ।

1.4 भविष्य में कटान को रोकने की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित की जाए तथा इस हेतु सिंचाई विभाग द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाय।

1.5 विभाग के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों को समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को प्रसारित कर दिया जाय।

2– बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने एवं अन्य व्यवस्थाओं संबंधी मुख्य सचिव, उ0प्र0 के पत्र संख्या–900/1–11–2017–8(जी)/2017, दिनांक 11.08.2017 तथा बाढ़ राहत एवं प्रबंधन में जिलाधिकारियों की भूमिका के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या–906/1–11–2017–7(जी)/2017, दिनांक 14.08.2017 में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये है। उक्त पत्रों के कम में विभागीय स्तर से भी स्पष्ट दिशानिर्देश फील्ड अधिकारियों को भी निर्गत किए जाएं। सुलभ संदर्भ के लिए उक्त दोनों पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है।

3– अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

All Letters-6 (abhi)

Scanned by CamScanner

संख्या एवं दिनॉक : तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवीदास)

विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner